कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Phone/ Fax: 0135-2767611
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com

पत्रांक– 351 / FP/UK/ROAD/40174/2019 :देहरादून:दिनांकः 01 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (नाम से),
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

विषयः–जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/40174/2019)

सन्दर्भः–आपका पत्रांक 2187 / पी.एम.जी.एस.वाई. (सि.ख.) दिनांक 18–07–2019.

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्न कमियाँ पायी गयी :–

1. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या अंकित कर विषय सूची में भी पृष्ठ संख्या भरी जाये।
2. प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–। (प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर मोहर सहित), भाग–।। (प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर एवं एस0आई0आर0 सहित) भाग–।।। (वन संरक्षक द्वारा भरे जाने वाला प्रपत्र) क्रमानुसार लगाकर विषय सूची के पश्चात प्रस्ताव में संलग्न किया जाये।
3. मक डिस्पोजल किस भूमि पर प्रस्तावित किया गया है उसका स्पष्ट उल्लेख प्रस्ताव में किया जाय।
4. प्रस्ताव के प्रतिवेदन में क्षेत्रफल 1.456 का उल्लेख है, जबकि प्रस्ताव 1.501 है0 वन भूमि का है इसी प्रकार प्रतिवेदन में मार्ग की लम्बाई की सूचना भी गलत भरी गयी है एवं अन्य कतिपय प्रपत्रों में भी इसी प्रकार सूचना भरी गयी है।
5. पूर्व निर्मित जावरी जयकण्डी मार्ग की भारत सरकार की स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करें एवं तदनुसार मानचित्र / बारचार्ट में भी उसका उल्लेख करें तथा प्रस्तावित मार्ग किस मुख्य मार्ग से जुडा है मानचित्र एवं बारचार्ट में सूचना पूर्ण रूप से भरी जाय।
6. प्रस्तावित मार्ग की वित्तीय स्वीकृति संलग्न करें।
7. ऑथोरिटी लेटर में अधिशासी अभियन्ता के नाम का उल्लेख करें।
8. प्रस्ताव में संलग्न हिन्दी प्रपत्र–। एवं प्रपत्र–।। में भरी गयी सूचनाओं एवं प्रस्ताव में अन्य सूचनाओं में भिन्नता है। सही सूचना भरी जाय।
9. संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में सूचनायें रिक्त छोडी गयी है, पूर्ण रूप से भरी जाय।
10. प्रस्ताव में एस0आई0आर0 रिक्त प्रपत्र लगाया गया है, अनावश्यक / अतिरिक्त प्रपत्रों को प्रस्ताव से हटाया जाय।
11. प्रस्ताव में मानचित्र के साथ सी0डी0 का उल्लेख है, किन्तु सी0डी0 संलग्न नहीं की गयी है।
12. प्रस्ताव के लम्बाई चौडाई प्रमाण–पत्र में कुल भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख करें।
13. वृक्षों के वैज्ञानिक नाम का भी उल्लेख किया जाय।
14. बांज वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण / संस्तुति आख्या प्रस्ताव में संलग्न करें।
15. विद्यमान वृक्षों एवं वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूचना में रिक्त स्थानों में सूचना नहीं भरी गयी है। सूचना भरी जाय।
16. प्रस्तावित स्थल की राष्ट्रीय पार्क से हवाई दूरी 9.50 किमी0 है। अतः मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की संस्तुति आख्या सहित प्रस्ताव में संलग्न करें।
17. प्रस्ताव की मूल प्रति में कतिपय प्रपत्र एफ0आर0ए0 सहित छायाप्रति में है, मूल प्रति संलग्न की जाय।
18. एफ0आर0ए0 प्रपत्र के साथ मक डिस्पोजल के एन0ओ0सी0 प्रपत्र लगे है। अतः सही स्थान पर संलग्न करें।
19. भू–वैज्ञानिक की आख्या संलग्न करें।

लाभान्वित होने वाले ग्राम प्रपत्र में मात्र 01 ग्राम जयकण्डी का उल्लेख है। क्या परियोजना से अन्य कोई ग्राम लाभान्वित नहीं हो रहा है? पूर्ण सूचना भरी जाये।

21. क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रपत्र के साथ योजना संलग्न नहीं की गयी है। उसके स्थान पर मानचित्र लगाया गया है। अतः प्रस्ताव में सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित स्थान पर प्रपत्र के साथ ही लगाया जाये।
22. मक डम्पिंग प्रमाण–पत्र में सूचनायें रिक्त छोडी गयी है एवं मलवा उत्पादित/निस्तारण का पूर्ण विवरण भी नहीं दिया गया है।
23. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के जियो–रिफरेन्सड मानचित्र में स्थल का नाम उल्लेख नहीं है। स्थल का नाम उल्लेख किया जाय।
24. एन0पी0वी0 प्रमाण–पत्र में हरियाली का धनत्व ऑनलाईन भरी गयी सूचना के अनुसार नहीं है।
25. क्षतिपूरक वृक्षारोपण Ownership प्रमाण–पत्र सही नहीं है।
26. कतिपय प्रमाण–पत्रों में सूचनायें रिक्त छोडी गयी है, परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों के हस्ताक्षर है। इसी प्रकार Memorandum में जिलाधिकारी की मुहर लगायी है, परन्तु हस्ताक्षर नहीं है।
27. उपरोक्त के अतिरिक्त ऑनलाईन प्रस्ताव पर लगाये गये कमियों का निराकरण भी किया जाय।

अतः उपरोक्त से प्रतीत होता है कि आपके विभाग द्वारा प्रस्ताव का भली–भांति परीक्षण न कर मात्र एक औपचारिकता निभाते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः भविष्य में प्रस्ताव पर भली–भांति परीक्षण करने के पश्चात ही प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कृपया अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवे एवं कमियों के निराकरण के पश्चात पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्याः– 351 / FP/UK/ROAD/40174/2019 दिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–रूद्रप्रयाग।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सम्बन्धित पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया जाने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

o/c